[27/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 888]

परिशिष्ट

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 888 द्वारा मान. श्री अरूण भीमावद, सदन दिनांक 27.07.2017

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

यह योजन सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है, जिसका लाभ केवल नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए है, जिसमें विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की परियोजनायें मान्य की जाती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

1. **परियोजना लागत:** रूपये 10 लाख से रू 01 करोड़ तक ।
2. **पात्रता:**
   (क) आयु : 18-40 वर्ष ।
   (ख) शैक्षाणिक योग्यता : न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।
   (ग) आयु सीमा : कोई बंधन नहीं ।
3. **वित्तीय सहायता**
   (क) मार्जिनमनी सहायता : परियोजना के पूँजीगत लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 12 लाख) ।
   (ख) ब्याज अनुदान - परियोजना के पूँजीगत लागत पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षो तक तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षो तक
   (ग) गांरटी फीस (सीजीटी): प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षो तक ।
4. उद्यमियों के प्रशिक्षण एवं हेंड होल्डिंग हेतु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग द्वारा UNDP को अनुबंधित किया गया है ।
5. उक्त योजनान्तर्गत आवेदक MP-Online कियोस्क के माध्यम से संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को आवेदन कर सकते हैं ।

(राजीव जैन)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग